प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा गेहूं के जिलेवार आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। उचित मूल्य दुकानदार को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से गेहूं का आवंटन किया जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवंटन करने के बाद से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है। आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 की लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अन्त्योदय के 28 लाख, बीपीएल के 1 करोड़ 17 लाख एवं स्टेट बीपीएल के 29 लाख अर्थात कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों के लिए 1 मार्च 2019 से 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण की योजना प्रारंभ की गई। इस प्रकार 1 रूपए प्रति किलो गेहूं स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम का लाभ अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों में व्यक्तियों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही बारां जिले के सहरिया, उदयपुर जिले के कथौड़ी एवं खैरवा जनजाति के परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किलो गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निशुल्क वितरण किया जा रहा है।

लाभ

- इस योजना के माध्यम से अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, BPL एवं स्टेट BPL राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट 1 रुपए प्रतिमाह प्रति किलो की दर से गेहूं दिया जाता है।
- यह योजना राजस्थान सरकार के 'कोई भूखा न सोए' के संकल्प को पूरा करने में सहायता कर रही है।

अब तक

राज्य सरकार द्वारा अब तक 381 करोड़ रुपए वहन किये गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए 181 पर कॉल करें या https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर विजिट करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#मॉडल_स्टेट_राजस्थान

4 वर्ष
जनसेवा, सबका सम्मान
आगे बढ़ता राजस्थान
सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म

एक रुपए किलो गेहूं

स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम

परिचय

'कोई भूखा ना सोए' के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक रुपये किलो गेहूं योजना को शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लोग आसानी से गेहूं खरीद सकें और निर्धन वर्ग के लोगों को भूखा ना रहना पड़े। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य में 2 अक्टूबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का शुभारंभ किया गया। एनएफएसए के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त गेहूं को खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। गेहूं का वितरण लाभार्थी को मिलना सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण किया जाता है।

पात्रता

- खाद्य सुरक्षा में चयनित BPL, स्टेट BPL एवं अन्त्योदय परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता है।